रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 522] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2016/श्रावण 5,1938
No. 522] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2016/SRAVANA 5, 1938

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2016

**सा.का.नि. 743(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) व (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) तीसरा संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 (जिसे यहां इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के उपनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा के नियम 3 के उपनियम (2) को निम्नलिखित, अर्थात्-

"(2) प्रकृत व्यक्ति किसी भी समय एक से अधिक एक व्यक्ति कंपनी में सदस्य नहीं होगा और वह उल्लिखित व्यक्ति एक से अधिक एकल व्यक्ति कंपनी में नामनिर्देशिती नहीं होगा।"

3. मूल नियम के नियम 8 में,

(क) उपनियम 2 के खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्-

"(ii) इसमें रजिस्ट्रीकृत ट्रेडमार्क का नाम या ट्रेड मार्क जो कि ट्रेडमार्क अधिनियम 199 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में रजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का विषय है शामिल होगा जब तक कि स्वामी या ट्रेडमार्क के लिए रजस्ट्रीकरण के आवेदक की सम्मति, यथास्थिति, प्राप्त कर ली जाए और प्रवर्तकों द्वारा रजस्ट्रीकरण प्रस्तुत की जाए;";

(ख) 8 उपनियम (6) के उपखंड (ढ़) का लोप किया जाएगा।

4. मूल नियमों में, नियम 13 में उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"स्पष्टीकरणः उपनियम (1) और उपनियम (2) के प्रयोजन के लिए अभिदाताओं के टंकित या मुद्रित विशिष्टियां को अनुज्ञात किया जाएगा जैसा कि वे अभिदाता द्वारा लिखे गए है जब तक कि अभिदाता अपने यथास्थिति या अंगूठे का निशान हो, लगाता है।"।

5. मूल नियम के नियम 16 में

(i) उपनियम (1) में-

(क) खंड (ड) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"स्पष्टीकरण – यदि अभिदाता के पास पहले से डीआईएन है और आवेदन की तिथि पर दिए गए विवरण का अद्यतन किया गया है और इस संबंध में घोषणा आवेदन में दी गई है तो पहचान एवं आवास के सबूत संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।";

(ख) खंड (थ) का लोप किया जाएगा।

(ii) उपनियम (2) के खंड (छ) में शब्दों "या भागीदार फर्म" का लोप किया जाएगा।

6. मूल नियम के नियम 26 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्;

"26 कंपनी द्वारा नाम का प्रकाशन.- (1) प्रत्येक कंपनी जिसके पास ऑनलाइन कारबार करने अन्यथा के लिए वेबसाइट है वह अपना नाम रजस्ट्रीकृत कार्यालय का पता, कारपोरेट पहचान संख्या, दूरभाष संख्या, फैक्स संख्या यदि कोई हो, ई-मेल और उस व्यक्ति का नाम जिससे कोई प्रश्न या शिकायत के मामले में संपर्क किया जा सकता है, उक्त वेबसाइट के लैंडिग/होम पेज पर विवरण देना होगा।

(2) केंद्रीय सरकार, जब और जैसे अपेक्षित हो, उन अन्य दस्तावेजों की अधिसूचित कर सकती है जिस पर कंपनी का नाम मुद्रित किया जाएगा।"।

7. मूल नियम के नियम 28 के उपनियम (2) के दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि ऐसी पूछताछ, निरीक्षण या अन्वेषण के पूरा होने पर जिसके परिणामस्वरूप कोई अभियोजन प्रस्तावित न हो या कोई अभियोजन लंबित नहीं हो, रजस्ट्रीकरण कार्यालय के स्थानांतरण की अनुज्ञा दी जाएगी।"।

8. मूल नियम के नियम 29 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) उस कंपनी का नाम परिवर्तन करने की अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसने वार्षिक विवरणियां या वित्तीय कथन या कोई दस्तावेज जो रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग के लिए बकाया है। या परिपक्व जमाओं या डिबेंचरों या उस पर ब्याज की अदायगी अथवा पुनअदायगी में चूक की होः

नाम परिवर्तन को आवश्यक दस्तावेजों की यथास्थिति फाइलिंग या परिपक्व जमा अथवा डिबेंचर अथवा अदायगी या पुर्नअदायगी, करने पर सम्मति दी जाएगी।"।

9. मूल नियम के नियम 30 में,-

(अ) उपनियम (1) में खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"यदि आवेदक रजस्ट्रीकृत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी है तो भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रति"

(आ) उपनियम (6), में खंड (ग) में शब्दों, "और सूचीबद्ध कंपनियों के दशा में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को" का लोप किया जाएगा;

(इ) उपनियम (10) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्-

"स्पष्टीकरण – ऐसी पूछताछ, निरीक्षण या अन्वेषण के पूरा होने पर जिसके परिणामस्वरूप किसी अभियोजन पर विचार नहीं किया गया है या कोई अभियोजन लंबित नहीं हैं, रजस्ट्रीकरण कार्यालय के स्थानांतरण की अनुज्ञा दी जाएगी।"।

10. मूल नियम में नियम 36 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

**"37. असीमित कंपनी को शेयरों या प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी में बदलनाः-** (1) कंपनी अधिनियम में किसी अन्य उपबंध को प्रतिकूल डाले बिना किसी असीमित कंपनी को शेयरपूंजी के साथ या उसके बिना शेयर या प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी में परिवर्तित करने के लिए ऐसी कंपनी साधारण बैठक में एक विशेष संकल्प पारित करेगी और उसके पश्चात् एक आवेदन प्ररूप संख्या आईएनसी -27 में उपनियम (2) और नियम (3) में दी गई रीति में फाइल करेगी।

(2) कंपनी साधारण बैठक में पारित विशेष संकल्प की तारीख के सात दिन के भीतर एक सूचना प्ररूप संख्या आईएनसी-27क ऐसे प्रस्तावित संपरिवर्तन की सूचना दो समाचार पत्रों (एक अंग्रेजी और एक स्थानीय भाषा) को जिले में जहां कंपनी का रजस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है प्रकाशित करेगी और उसे कंपनी की वेबसाइट यदि कोई हो पर भी स्पष्ट रूप से कंपनी को सीमित कंपनी में शेयरों या प्रत्याभूति द्वारा संपरिवर्तन के प्रस्ताव को दर्शाते हुए रखेगी और ऐसे व्यक्ति जो परिवर्तन के कार्यों में हितबद्ध है, से आपत्तियां यदि कोई हो मांगेंगी और ऐसे नोटिस की प्रति भी इसके लेनदारों एवं डिबेंचरधारियों साधारण बैठक की तारीख का नोटिस रजस्ट्रीकृत पोस्ट या कोरियर द्वारा प्रेषक सबूत के साथ प्रेषित करेगी। नोटिस में यह भी बताया जाएगा कि आपत्ति यदि कोई हो तो उसे रजिस्ट्रार और कंपनी को नोटिस के प्रकाशन की तिथि के इक्कीस दिन के भीतर सम्यक रूप से हित और विरोध के आधार पर दर्शाते हुए सूचित किया जा सकता है।

(3) कंपनी विशेष प्रस्ताव के पारित होने के पैतालीस दिन के भीतर उपनियम (1) में कंपनी विहित शेयरों या प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी के संपरिवर्तन कंपनी (रजस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 मे दी गई फीस के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर आवेदन करेगी अर्थात्-

(क) साधारण बैठक का नोटिस साथ में स्पष्टीकरण कथन;

(ख) साधारण बैठक में पारित संकल्प की प्रति;

(ग) समाचार पत्र प्रकाशन की प्रति;

(घ) संपरिवर्तित संगम ज्ञापन साथ-साथ संगम अनुच्छेद की एक प्रति सम्यक रूप से कोई एक निदेशक जो इस में सम्यक रूप से प्राधिकृत हो या कंपनी के कंपनी सचिव यदि कोई हो द्वारा सम्यक इस निमित्त से प्राधिकृत होनी चाहिए।

(ड़) कंपनी के कम से कम दो निदेशकों द्वारा जिसमें प्रबंध निदेशक यदि कोई हो शामिल हो द्वारा घोषणा कि ऐसा बदलाव किसी ऋण दायित्वों, बाध्यताओं या इस बदलाव के पूर्व कंपनी की ओर से की गई कोई संविदा (सिवाय इसके विस्तार कि सदस्यों का दायित्व सीमित हो जाएगी) को प्रभावित नहीं करेगा।

(च) लेनदारों एवं डिबेंचरधारियों की पूर्ण सूची जिन्हें उपरोक्त नियम (2) के के अधीन व्यक्तिगत नोटिस भेजे गए थे जिसमें निम्नलिखित आधारों का विवरण होगा, अर्थात्:-

(i) कंपनी के प्रत्येक लेनदार और डिबेंचरधारक का नाम और पता;

(ii) ऋण दावा और दायित्वों के संबंध में उनको देय राशि की प्रकृति और संबंधित राशि;

(iii) कंपनी के निदेशक द्वारा घोषणा कि उपनियम (2) के अधीन जैसा अपेक्षित है नोटिस का प्रेषण सभी लेनदारों और डिबेंचधारकों को प्रेषक सबूत के साथ किया गया है।

(छ) कंपनी के कम से कम दो निदेशकों द्वारा जिनमें से एक प्रबंध निदेशक होगा जहां वह है इस आशय की घोषणा हस्ताक्षरित करेंगे कि उन्होंने कंपनी के कार्यों की पूरी अन्वेषण कर ली है और ऐसा करने के बाद यह राय बनाई है कि लेनदारों की सूची सही है और ऋण या दावे जो आकस्मिकता के होने पर देय नहीं हैं वह ऐसे ऋण और दावों के मूल्य का उचित प्राक्कलन दे और वहां कोई अन्य ऋण या दावे कंपनी के विरूद्ध उनकी जानकारी नहीं है।

(ज) कंपनी के कम से कम दो निदेशकों द्वारा जिनमें से एक प्रबंध निदेशक होगा जहां वह है के द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय़ का शोधन घोषणा पत्र कि कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी के कार्यों की पूरी अन्वेषण की है जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने यह राय कायम की है कि यह अपने दायित्व पूरे करने में सक्षम है और घोषणा की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिवालिया हो जाएगा जो सम्यक रूप बुलाई गई बैठक या परिचालन में संकल्प के द्वारा होगी।

(झ) कंपनी को लेखापरीक्षकों से एक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना होगा कि कंपनी ऋणशोधक्षम है और इसके बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव की तारीख को उपरोक्त खंड (ज) के अनुसार शोधनक्षमता को सत्यापित करता है।

(ञ) नियामक द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जहां आवश्यक हो।

(ट) सभी सुरक्षित लेनदारों से अनापत्ति प्रमाणपत्र यदि कोई हो,

(4). कम से कम दो निदेशकों जिसमें से एक प्रबंध निदेशक सम्मिलित है जहां है हस्ताक्षरित घोषणा कि कंपनी के विरूद्ध कोई शिकायत सदस्यों या निवेशकों द्वारा लंबित नहीं है और न ही कोई अन्वेषण निरीक्षण या अन्वेषण कंपनी या इसके निदेशकों अथवा अधिकारियों के विरूद्ध लंबित है।

(5) रजिस्ट्रार को प्राप्त आवेदन और आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कंपनी को प्राप्त आपत्तियों का कंपनी द्वारा संतोषप्रद तरीके से निपटान कर लिया गया है, रजिस्ट्रार उचित रूप से निर्णय करेगा कि संपरिवर्तन के लिए अनुमोदन दिया जाए अथवा नहीं।

(6) असीमित दायित्व कंपनी का शेयरों या प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी के रूप में संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप निगमन प्रमाणपत्र संपरिवर्तन के लिए अनुमोदन मिलने के बाद प्ररूप संख्या आईएनसी-11 क में जारी किया जाएगा।

(7) **संपरिवर्तन के बाद निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करना**- (1) कंपनी ऐसे परिवर्तन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक अपने नाम में परिवर्तन नहीं करेगी।

(2) कंपनी पूर्व के परिवर्तन से पूर्व की गई देयताओं, बाध्यता या संविदाओं को चुकाए बिना किसी भी लाभांश की घोषणा या बंटवारा नहीं करेगी।

स्पष्टीकरणः इस खंड के प्रयोजन के लिए पूर्व के ऋणों, बाध्यताओं या संविदाओं में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत ऋण को शामिल नहीं किया जाता है।

(8) **एक असीमित कंपनी, शेयरों या प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी में संपरिवर्तन के लिए पात्र नहीं होगी, यदि-**

(क) इसका निवल मूल्य नकारात्मक है, अथवा

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपाबंधों के अधीन इसका नाम काटने के लिए कोई आवेदन लंबित है, अथवा

(ग) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपाबंधों के इसकी वार्षिक विवरणी और/ या वित्तीय कथन के संबंध में कोई चूक की है, या

(घ) कंपनी के विरूद्ध परिसमापन के लिए कोई याचना लंबित है, अथवा

(ड़) कंपनी ने अपने निदेशकों से बकाया राशि देय तारीख से छः माह की अवधि तक प्राप्त नहीं की है, अथवा

(च) कंपनी के विरूद्ध कोई पूछताछ या अन्वेषण लंबित है;

(9) कंपनी रजिस्ट्रार इन नियमों के अधीन फाइल पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पर प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर कोई निर्णय लेगा।

11. मूल नियम में प्ररूप संख्या आईएनसी-10 को लोप किया जाएगा।

12. मूल नियम में प्ररूप संख्या आईएऩसी-11 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:-

**प्ररूप सं. आईएनसी-11क**

**असीमित कंपनी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में परिवर्तन करने के अनुसरण में निगमन का प्रमाणपत्र**

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 37 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 18 के अनुसरण में]

मैं, यह प्रमाणित करता हूं कि ..... (संपरिवर्तन के पूर्व कंपनी का नाम) जिसके पास असीमित देयता है को इस प्रमाणपत्र की तारीख से सीमित देयता वाली कंपनी ..... (संपरिवर्तन के पश्चात् कंपनी का नाम) कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया है, और यह कंपनी शेयर या प्रत्याभूति द्वारा सीमित है।

कंपनी का सीआईएन ..... है।

वर्ष दो हजार ..... के ..... माह के ..... दिवस को मेरे हस्ताक्षर से।

मुहरः

.....

कंपनी रजिस्ट्रार

.....

(राज्य)

प्ररूप संख्या आईएऩसी-11

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र

**निगमन-प्रमाणपत्र**

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (2) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसरण में]

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि <कंपनी का नाम> कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन <इस कार्य के अनुमोदन का माह शब्दों में> दो हजार < इस कार्य के अनुमोदन का वर्ष शब्दों में > की <पहली, दूसरी आदि> तारीख को निगमित की गई और यह कंपनी <शेयरों द्वारा सीमित/गारंटी द्वारा सीमित/असीमित कंपनी> है।

कंपनी का सीआईएन <सीआईएन>

मेरे हस्ताक्षर द्वारा <उस शहर का नाम जहां आरओसी कार्यालय स्थित है> < इस कार्य के अनुमोदन का माह शब्दों में >< इस कार्य के अनुमोदन का वर्ष शब्दों में > की <पहली, दूसरी आदि >।

डीएससी

<इस कार्य को अनुमोदित करने वाले प्राधिकृत अधिकारी का पूरा नाम>

<सहायक कंपनी रजिस्ट्ररा/उप कंपनी रजिस्ट्रार/कंपनी रजिस्ट्रार>

अधिकारिता वाले कंपनी रजिस्ट्रार की ओर से

कंपनी रजिस्ट्रार

केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र

दावाः यह प्रमाणपत्र आवेदनकर्ता (आवेदनकर्ताओँ) के दस्तावेजों और घोषणाओं के आधार पर इसे कंपनी के निगमन का साक्ष्य मात्र हैं। यह प्रमाणपत्र कारबार करने या जनता से जमा या निधि स्वीकार करने के लिए न तो एक अनुज्ञप्ति है और न ही अनुमति है। क्षेत्रीय नियामक की अनुमति अपेक्षानुसार अनिवार्य है, कंपनी की रजिस्ट्रीकरण प्रास्थिति और अन्य विवरण का सत्यापन www.mca.gov.in पर किया जा सकता है।

कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार पत्राचार का पता:

<कंपनी का नाम>

<पत्राचार/कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

13. मूल नियम में प्ररूप संख्या आईएनसी-27 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्-

**प्ररूप सं. आईएनसी.27**

**[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और 18 तथा कम्पनी नियम, 2013 के अधीन बने नियम 33 और 37 के अनुसरण में]**

सत्यमेव जयते

**पब्लिक कम्पनी को प्राइवेट कम्पनी में अथवा प्राइवेट कम्पनी को पब्लिक कम्पनी में संपरिवर्तित और असीमित देयता कंपनी को शेयरों द्वारा या प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी में बदलना**

**प्ररूप की भाषा** o **अंग्रेजी** o **हिंदी**

**प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें ।**

1. *निम्न के लिए आवेदन o प्राइवेट कम्पनी को पब्लिक कम्पनी में संपरिवर्तन

   o पब्लिक कम्पनी को प्राइवेट कम्पनी में संपरिवर्तन

   o असीमित देयता कंपनी को शेयरों से या प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी में संपरिवर्तन

   पूर्व पूरित

2. *(क) कम्पनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

   (ख) वैश्विक अवस्थिति संख्या

3. (क) कम्पनी का नाम

   (ख) रजस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

   (ग) कम्पनी की ई-मेल आईडी

4. * संपरिवर्तन के कारण

* कम्पनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के समक्ष प्ररूप एमजीटी.14 भरने की विशिष्टि या

   (क) प्ररूप एमजीटी.14 की एसआरएन

   (ख) विशेष संकल्प पारित किए जाने की तारीख दिन/मास/वर्ष

   (ग) प्ररूप एमजीटी.14 भरने की तारीख दिन/मास/वर्ष

5. *अधिकरण के आदेश की विशिष्टियां

   (क) आदेश पारित करने की तारीख

   (ख) आदेश प्राप्त होने की तारीख

6. * निगमन के समय कम्पनी का नाम (प्रमाण-पत्र में दर्शाया जाए)

IndiaCode

7. (क) जिस बैठक में संपरिवर्तन का निर्णय लिया गया था उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या और उनके शेयरों की संख्या

(i) * सदस्यों की संख्या

(ii) उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या

(ख) जिन सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान दिया उनका ब्यौरा और उनके शेयरों की संख्या

(i) * सदस्यों की संख्या

(ii) उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या

(ग) जिन सदस्यों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान दिया उनका ब्यौरा और उनके शेयरों की संख्या

(i) * सदस्यों की संख्या

(ii) उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या

(घ) जिन सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया उनका ब्यौरा और उनके शेयरों की संख्या

(i) * सदस्यों की संख्या

(ii) उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या

IndiaCode

संलग्नक

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | *सदस्यों की बैठक का कार्यवृत्त; | संलग्न करें | अनुलग्नकों की सूची |
| 2. | *परिवर्तित संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की प्रति; | संलग्न करें | |
| 3. | विलम्ब के लिए माफी हेतु आदेश; | संलग्न करें | |
| 4. | *विशेष संकल्प की प्रति; | संलग्न करें | |
| 5. | * समाचार प्रकाशन की प्रति; | संलग्न करें | |
| 6. | सक्षम प्राधिकारी का आदेश; | संलग्न करें | |
| 7. | * नियम 37(3) (ड़) के अनुसार सभी निदेशकों की घोषणा; | संलग्न करें | अनुलग्नक हटाएं |
| 8. | * नियम 37(3) (च) के अनुसार निदेशकों की घोषणा; | संलग्न करें | |
| 9. | *ऋणदाताओं और डिबेंचर धारकों की पूरी सूची; | संलग्न करें | |
| 10. | *शोधन क्षमता की घोषणा; | संलग्न करें | |
| 11. | * नियम 37 (4) के अनुसार शिकायत न करने संबंधी घोषणा; | संलग्न करें | |
| 12. | * कानूनी लेखापरीक्षा घोषणा की एक प्रति; | संलग्न करें | |
| 13. | वैकल्पिक संलग्नक (यदि कोई हो) | संलग्न करें | |

घोषणा

मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार इस आवेदन और इसके संलग्नकों में दी गई सूचना सही एवं पूर्ण है। कंपनी ने संबंधित प्राधिकरणों, विभागों और महत्वपूर्ण ऋणदाताओं से सभी अनिवार्य अनुमोदन अभिप्राप्त कर लिए गए हैं। मुझे कम्पनी के निदेशक मंडल के तारीख * .....(दिन/मास/वर्ष) के संकल्प संख्या * ..... के द्वारा यह प्ररूप हस्ताक्षरित करने और यह आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

निम्नलिखित द्वारा अंकीय हस्ताक्षरित किया जाए

*पदनाम

डीएससी बॉक्स

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; अथवा
प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डीआईएन या पैन; अथवा
कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

टिप्पण : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के उपाबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें क्रमश: मिथ्या कथन/प्रमाण-पत्र के लिए दंड और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपाबंध है।

---

उपांतरित | प्ररूप जाँचें | पूर्व-जाँच | प्रस्तुत करें

**केवल कार्यालय के उपयोग के लिए :**

ब्यौरा संलग्न करें

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) ई-प्ररूप दायर करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

**प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर** (प्रस्तुतीकरण की पुष्टि करें)

यह ई-प्ररूप अनुमोदित किया जाता है

यह ई-प्ररूप अस्वीकृत किया जाता है

हस्ताक्षर किए जाने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

IndiaCode

**प्ररूप संख्या आईएनसी 27क**

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 37(2) के अनुसरण में]

**असीमित कंपनी को शेयरों या प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी में संपरिवर्तन करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन**

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष

..... क्षेत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 18 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का नियम 37

और

..... लिमिटेड (असीमित कंपनी), जिसका रजस्ट्रीकृत कार्यालय ..... है, के मामले में, याची

यह नोटिस साधारण जनता को दी जा रही है कि कंपनी, केंद्रीय सरकार को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 18 के तहत तारीख ..... को आयोजित वार्षिक सधारण अधिवेशन/असाधारण सधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से कंपनी के संगम ज्ञापन के संशोधन की पुष्टि की मांग करते हुए आवेदन करने का प्रस्ताव करती है ताकि कंपनी असीमित देयता को सीमित देयता में परिवर्तित कर सके।"

कोई व्यक्ति जिसका हित असीमित देयता को सीमित देयता में परिवर्तित करने के प्रस्ताव से प्रभावित होने की संभावना है तो वह कंपनी रजिस्ट्रार (कंपनी रजिस्ट्रार का पता) को एक शपथ-पत्र जिसमें उनके हितों की प्रकार और आपत्ति का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्तियों को के प्रकाशन के इक्कीस दिन के भीतर रजस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते है या सुपुर्द करवा सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजस्ट्रीकृत कार्यालय में भी भेजी जाएगी:

आवेदक के लिए और आवेदक निमित्त की ओर

.....

निदेशक

तारीखः .....

स्थानः ....."

[फा.सं. 1/13/2013-सीएल-v]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

**टिप्पणः** मूल अधिसूचना सा.का.नि. 250(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और उसके पश्चात् इसे निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधित किया गया था-

| क्र.सं. | अधिसूचना संख्या | अधिसूचना की तारीख |
|---|---|---|
| 1. | सा.का.नि. 349(अ) | 01-05-2015 |
| 2. | सा.का.नि. 442(अ) | 29-05-2015 |
| 3. | सा.का.नि. 99(अ) | 22-01-2016 |
| 4. | सा.का.नि. 336(अ) | 23-03-2016 |

**********

IndiaCode

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th July, 2016

**G.S.R. 743(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Third Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 3, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) A natural person shall not be member of more than a One Person Company at any point of time and the said person shall not be a nominee of more than a One Person Company".

3. In the principal rules, in rule 8,-

(a) in sub-rule (2)for clause(ii), the following shall be substituted namely:-

"(ii) it includes the name of a trade mark registered or a trade mark which is subject of an application for registration under the Trade Marks Act, 1999 and the rules framed thereunderunless the consent of the owner or applicant for registration, of the trade mark, as the case may be, has been obtained and produced by the promoters;"

(b) in sub-rule (6), in clause(n), the comma between the words 'financial' and 'corporation' shall be omitted.

4. In the principal rules,in rule 13,after sub-rule (2), the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation.- For the purposes of sub-rule(1) and sub-rule (2), the type written or printed particulars of the subscribers and witnesses shall be allowed as if it is written by the subscriber and witness respectively so long as the subscriber and the witness as the case may be appends his or her signature or thumb impression, as the case may be."

5. In the principal rules, in rule16,-

(i) in sub-rule (1),-

(a) in clause (m), the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation.- In case the subscriber is already holding a valid DIN, and the particulars provided therein have been updated as on the date of application, and the declaration to this effect is given in the application, the proof of identity and residence need not be attached.";

(b) "clause (q) shall be omitted;

(ii) in sub-rule (2) in clause (g), the words " or partnership firm" shall be omitted.

6. In the principal rules, for rule 26, the following rule shall be substituted, namely:-

"**26. Publication of name by company**.- (1) Every company which has a website for conducting online business or otherwise, shall disclose/publish its name, address of its registered office, the Corporate Identity Number, Telephone number, fax number if any, email and the name of the person who may be contacted in case of any queries or grievances on the landing/home page of the said website.

(2) The Central Government may as and when required, notify the other documents on which the name of the company shall be printed.".

7. In the principal rules, in rule 28, in sub-rule (2), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that on completion of such inquiry, inspection or investigation as a consequence of which no prosecution is envisaged or no prosecution is pending, shifting of registered office shall be allowed.".

8. In the principal rules, in rule 29, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) The change of name shall not be allowed to a company which has not filed annual returns or financial statements due for filing with the Registrar or which has failed to pay or repay matured deposits or debentures or interest thereon:

Provided that the change of name shall be allowed upon filing necessary documents or payment or repayment of matured deposits or debentures or interest thereon as the case may be."

9. In the principal rules, in rule 30,-

(A) in sub-rule (1), after clause(i), the following shall be insertednamely:-

"(j) a copy of the No Objection Certificate from the Reserve Bank of India where the applicant is a registered Non-Banking Financial Company"

(B) in sub-rule (6), in clause (c) the words "and to the Securities and Exchange Board in the case of listed companies" shall be omitted;

(C) in sub-rule (10), after the proviso, the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation.-On completion of such inquiry, inspection or investigation as a consequence of which no prosecution is envisaged or no prosecution is pending, shifting of registered office shall be allowed.".

10. In the principal rules, after rule 36, the following rule shall be inserted, namely:-

**"37. Conversion of unlimited liability company into a limited liability company by shares or guarantee.-**(1) Without prejudice to any other provision in the Companies Act, for effecting the conversion of an unlimited liability company with or without share capital into limited liability company by shares or guarantee, such a company shall pass a special resolution in a general meeting and thereafter, an application shall be filed in Form No. INC-27 in the manner provided in sub-rules (2) and (3).

(2) The Company shall within seven days from the date of passing of the special resolution in a general meeting, publish a notice,in Form No. INC-27Aof such proposed conversion in two newspapers (one in English and one in vernacular language) in the district in which the registered office of the company is situate and shall also place the same on the website of the Company, if any, indicating clearly the proposal of conversion of the company into a company limited by shares or guarantee, and seeking objections if any, from the persons interested in its affairsto such conversion and cause a copy of such notice to be dispatched to its creditors and debentures holders made as on the date of notice of the general meeting by registered post or by speed post or through courier with proof of dispatch. The notice shall also state that the objections, if any, may be intimated to the Registrar and to the company within twenty-one days of the date of publication of the notice, duly indicating nature of interest and grounds of opposition.

(3) The Company shall within forty five days of passing of the special resolution file an application as prescribed in sub rule (1) for its conversion into a company limited by shares or guarantee alongwith the fees as provided in the Companies (Registration offices and Fees) Rules, 2014, by attaching the following documents, namely:-

a. notice of the general meeting along with explanatory statement;

b. copy of the resolution passed in the general meeting;

c. copy of the newspaper publication;

d. a copy of altered Memorandum of Association as well as Articles of Association duly certified by any one of the Directors duly authorised in this behalf or Company Secretary of the Company, if any.

e. declaration signed by not less than twoDirectors of the Company, including Managing Director, if any, that such conversion shall not affect any debts, liabilities, obligations or contracts incurred or entered into by or on behalf of the Company before conversion (except to the extent that the liability of the members shall become limited).

f. a complete list of creditors and debenture holders, to whom individual notices have been sent under sub-rule (2) setting forth the following details, namely:-

(i) the names and address of every creditor and debenture holder of the Company;

(ii) the nature and respective amounts due to them in respect of debts, claims or liabilities:

(iii) declaration by a Director of the Company that notice as required under sub-rule (2) has been dispatched to all the creditors and debenture holders with proof of dispatch.

g. a declaration signed by not less than two Directors of the Company, one of whom shall be a Managing Director where there is one, to the effect that they have made a full enquiry into the affairs of the Company and, having done so, have formed an opinion that the list of creditors is correct, and that the estimated value as given in the list of the debts or claims payable on a contingency are proper estimates of the values of such debts and claims and that there are no other debts or claims against the company to their knowledge.

h. a declaration of solvency signed by at least two Directors of the Company, one of whom shall be the Managing Director,where there is one to the effect that the Board of Directors of the Company have made a full inquiry into the affairs of the company, as a result of which they have formed an opinion that it is capable of meeting its liabilities and will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of declaration, through a resolution, passed in a duly convened meeting or by circulation.

i. The company shall also obtain a certificate from the Auditors that the companyis solvent and that it is a going concern as on the date of passing of resolution by the Board certifying solvency as per clause (h) above.

j. No Objection Certificate from sectoral regulator, if applicable.

k. No Objection Certificate from all secured creditors, if any.

(4) Declaration signed by not less than two Directors including Managing Director, where there is one, that no complaints are pending against the company from the members or investors and no inquiry, inspection or investigation is pending against the company or its Directors or officers.

(5) The Registrar shall, after considering the application and objections if any, received by the Registrar and after ensuring that the company has satisfactorily addressed the objections received by the company, suitably decide whether the approval for conversion should or should not be granted.

(6) The certificate of incorporation consequent to conversion of unlimited liability company to into a company limited by shares or guarantee be in Form INC-11A issued to the company upon grant of approval for conversion.

**(7) Conditions to be complied with, subsequent to conversion.-**

(1) Company shall not change its name for a period of one year from the date of such conversion.

(2) The company shall not declare or distribute any dividend without satisfying past debts, liabilities, obligations or contracts incurred or entered into before conversion.
Explanation: For the purpose of this clause, past debts, liabilities, obligations or contracts does not include secured debts due to banks and financial institutions.

**(8) An Unlimited Liability Company shall not be eligible for conversion into a company limited by shares or guarantee in case-**

(a) its networth is negative, or

(b) an application is pending under the provisions of the Companies Act1956 or the Companies Act, 2013 for striking off its name, or

(c) the company is in default of any of its Annual Returnsor financial statements under the provisions of the Companies Act, 1956 or the Companies Act, 2013, or

(d) a petition for winding up is pending against the company, or
(e) the company has not received amount due on calls in arrears, from its directors, for a period of not less than six months from the due date; or
(f) an inquiry, inspection or investigation is pending against the company.

(9) The Registrar of Companies shall take a decision on the application filed under these rules within thirty days from the date of receipt of application complete in all respects.

11.In the principal rules, Form No. INC-10 shall be omitted.

12. In the principal rules, for Form No. INC-11, the following formsshall be substituted, namely:-

"Form No.INC-11

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Central Registration Centre

**Certificate of Incorporation**

[Pursuant to sub-section (2) of section 7 of the Companies Act, 2013 and rule 8 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

I hereby certify that <name of the company> is incorporated on this (i.e. FIRST, SECOND etc.) day of <Month of approval of work item in words> two thousand <YEAR of approval of work item in words> under the Companies Act, 2013 and that the company is <limited by shares/limited by guarantee/unlimited company>.

The CIN of the company is <CIN>.

Given under my hand at < Name of the city where the RoC Office is located > this < Date of approval of the work item in words (i.e FIRST, SECOND etc.)> day of < Month of approval of the work item in words ><YEAR of approval of the work item in words>.

DSC

<Full name of the Authorising officer approving the work-item>

<Assistant Registrar of Companies/ Deputy Registrar of Companies/ Registrar of Companies>

For and on behalf of the Jurisdictional Registrar of Companies

Registrar of Companies

Central Registration Centre

Disclaimer: This certificate only evidences incorporation of the company on the basis of documents and declarations of the applicant(s). This certificate is neither a license nor permission to conduct business or solicit deposits or funds from public. Permission of sector regulator is necessary wherever required. Registration status and other details of the company can be verified on www.mca.gov.in

Mailing Address as per the records available in Registrar of Companies office:

< Name of the company >

< Address of the correspondence/registered office of the company >".

IndiaCode

Form No. INC-11A

**Certificate of Incorporation pursuant to conversion of Unlimited Liability company into Limited Liability Company**

[pursuant to section 18 of the Companies Act, 2013 read with rule 37 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

I hereby certify that…….(name of the company prior to conversion) having unlimited liability has been converted into…….(name of the company after conversion) company having limited liability with effect from the date of this certificate and the company is limited by shares or limited by guarantee.

The CIN of the company is……

Given under my hand at…… this…… day of…… two thousand……

SEAL: ……

Registrar of Companies

……

(State)

IndiaCode

13. in the principal rules, for Form INC-27, the following forms shall be inserted, namely:-

**FORM NO. INC-27**
***[Pursuant to sections 14 and 18 of the Companies Act, 2013 and Rule 33 and Rule 37 made thereunder of the Companies Rules, 2013]***

सत्यमेव जयते

**Conversion of public company into private company or private company into public company and Conversion of Unlimited Liability Company into a Company Limited by shares or guarantee**

**Form language o English o Hindi**
**Refer the instruction kit for filing the form.**

1. *Application for o Conversion of private company into public company
o Conversion of public company into private company
o Conversion of Unlimited Liability Company into Company Limited by shares or guarantee

2. *(a) Corporate identity number(CIN) of company **Pre-fill**
(b) Global Location Number

3. (a) Name of the Company
(b) Address of registered office

(c) email Id of the company

4. *Reason(s) for conversion

IndiaCode

*Particulars of filing Form No.MGT-14 with Registrar of Companies (RoC)

(a) SRN of Form No. MGT-14

(b) Date of passing the special resolution (DD/MM/YYYY)

(c) Date of filing Form No. MGT-14 (DD/MM/YYYY)

5. *Particulars of the order of Tribunal
(a) Date of passing the order
(b) Date of receiving the order

6. *Name of the company at the time of incorporation (to be displayed in the certificate)

7. (a) Details of members present at the meeting where the decision of conversion was taken and number of shares held by them
(i) *Number of members
(ii)Number of shares held by them

(b) Details of the members who voted in favour of the proposal and number of shares held by them
(i) *Number of members
(ii)Number of shares held by them

(c) Details of the members who voted against the proposal and number of shares held by them

(i) *Number of members

(ii)Number of shares held by them

(d) Details of members who abstained from voting and number of shares held by them

(i) *Number of members

(ii)Number of shares held by them

**Attachments** **List of attachments**

1. *Minutes of the members' meeting — Attach
2. *Copy of altered Memorandum Articles of Association; — Attach
3. Order for condonation of delay; — Attach
4. *Copy of special resolution; — Attach
5. *Copy of newspaper publication; — Attach
6. Order of competent authority;

**Remove Attachment**

7. *Declaration of all Directors as per Rule 37(3)(e); — Attach
8. *Declaration of Directors As per Rule 37(3)(g); — Attach
9. *Complete list of creditors and debentures holders; — Attach
10. *Declaration of Solvency; — Attach
11. *Declaration regarding no complaints As per Rule 37(4) — Attach
12. *A copy of Statutory Auditors Certificate — Attach
13. Optional attachment(s) (if any)

IndiaCode

**Declaration**

To the best of my knowledge and belief, the information given in this application and its attachments are correct and complete. The company has obtained all the mandatory approvals from the concerned authorities, departments and substantial creditors. I have been authorized by the board of directors' resolution number * dated *

(DD/MM/YYYY) to sign and submit this application.

**To be digitally signed by** DSC BOX

*Designation

*Director identification number of the director; or

DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or

Membership number of Company secretary

**Note:AttentionisdrawntoprovisionsofSection448and449oftheCompaniesAct,2013whichprovidefor punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.**

Modify | Check Form | Prescrutiny | Submit

**For office use only:**

Affix filing details

eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY)

**Digital signature of the authorising officer**

This e-Form is hereby approved

This e-Form is hereby rejected

Confirm Submission

Date of signing (DD/MM/YYYY)

India Code

**Form no INC-27A**

[*[Pursuant to rule 37(2)* the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

**Advertisement to be published in the newspaper for conversion of unlimited liability into limited liability company**

Before the Central Government

_____Region

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 18 of Companies Act, 2013 and rule 37of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of _____ Limited (unlimited liability company) having its registered office at _____, Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 18 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Annual General Meeting/ Extra ordinary general meeting held on _____ to enable the company to convert from unlimited liability into limited liability".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed conversion from unlimited liability into limited liability may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Registrar of companies (address of the ROC) within twenty-one days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

For and on behalf of the Applicant

……

Director

Date……..

Place……..

IndiaCode

[F. No. 1/13/2013 CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 250(E) dated 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

| Serial Number | Notification Number | Notification Date |
|---|---|---|
| 1. | G.S.R. 349 (E) | 01-05-2015 |
| 2. | G.S.R. 442 (E) | 29-05-2015 |
| 3. | G.S.R. 99 (E) | 22-01-2016 |
| 4. | G.S.R. 336(E) | 23-03-2016 |

**********

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.